राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी आबकारी संख्या –1669/2016/अजमेर

भागचन्द पिता श्री पूनाराम जाति भाट, निवासी ग्राम शोभापुरा डूंगरी रोड़, भोमा जी का थान, तहसील ब्यावर, जिला–अजमेर ....प्रार्थी.

बनाम्

1. आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर
2. जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर
3. आबकारी निरीक्षक, ब्यावर

.........अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री मदनलाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री मुकेश भार्गव
अभिभाषक। ....प्रार्थी की ओर से.

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। ....अप्रार्थी की ओर से.

दिनांक : 09.05.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के आदेश क्रमांक प. 29(बी)/अपील/05/आब/2015/129 (जो कि आबकारी विभाग ब्यावर से 11.07.2016 को प्रार्थी को तामील करवाया गया) में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.05.2016 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **''आबकारी अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 9(क)(1)(ख) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आबकारी विभाग, अजमेर द्वारा पत्र दिनांक 24.02.2009 (**प्रदर्श 01**) से देशी मदिरा दुकान, ब्यावर वार्ड नं. 07 ग्राम पंचयात नून्द्री महेन्द्रतान, समूह संख्या 107 का अनुज्ञापत्र वर्ष 2009–10 तथा पत्रांक 1431 दिनांक 15.02.2010 से वर्ष 2010–11 के लिये नियमानुसार देशी मदिरा खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया गया। जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर के निर्देशन में आबकारी निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 11.11.2009 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आबकारी निरीक्षण दल ने निम्न कमियां पाई गयी :–
   1. दुकान में 103 पव्वे सादा देशी मदिरा के संदिग्ध रिफिल किये हुए मिले, पव्वों पर ढक्कन सुए या अन्य साधन से पुनः पेक किये हुए प्रतीत हुए, ढक्कन पर लगे होलोग्राम भी बाद में चिपकाए हुए लगे।
   2. वक्त निरीक्षण दुकान पर स्टॉक रजिस्टर एवं निरीक्षण पुस्तिका नहीं मिली परमिट आदि दस्तावेज दुकान पर नहीं मिले।
   3. नौकरनामा भी स्वीकृतशुदा नहीं मिला।

   अनुज्ञाधारी के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 58 सी के तहत् अभियोग संख्या 54 दिनांक 11.11.2009 पंजीकृत किया गया। उक्त देशी मदिरा की दुकान पर पंजीकृत होने के उपरान्त जिला आबकारी अधिकारी अजमेर के पत्रांक 1431 दिनांक 15.02.2010 से वर्ष 2010–11 के लिए अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु पत्र

09/05/17

लगातार.......................2.

जारी किया गया। जिसमें देशी मदिरा दुकान की वार्षिक आरक्षित राशि रूपये 26,00,918/– निर्धारित की थी। आबकारी निरीक्षक ब्यावर द्वारा 103 पव्वे सादा देशी मदिरा के बरामद किये तथा 15 पव्वे वास्ते सेम्पल जांच आबकारी प्रयोगशाला, उदयपुर द्वारा जांच करवाई गई जिसमें रिपोर्ट दिनांक 16.02.2010 को प्राप्त हुई जिसमें नमूना पव्वों की तेजी 40 यू.पी. के स्थान पर 50–60 यू.पी. होना पाया गया। दर्ज अभियोग को अनुज्ञाधारी प्रार्थी ने विभागीय स्तर पर संयोज्य कराने हेतु संयोज्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर ने आदेश दिनांक 16.03.2010 से उक्त अभियोग को राशि रूपये 5,000/– में संयोज्य किये जाने के आदेश दिये। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर संयोज्य मुख्यालय स्तर से किया जाना था लेकिन त्रुटि वर्ष जिला आबकारी, अजमेर ने अभियोग को आदेश दिनांक 16.03.2010 से संयोज्य कर दिया। उक्त त्रुटि सुधार हेतु संयोज्य आदेश को निरस्त करते हुए जिला आबकारी अधिकरी, अजमेर ने अनुज्ञाधारी श्री भागचन्द को नोटिस दिया प्रकरण पत्रावली जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर ने मुख्यालय को उनके पत्र दिनांक 19.05.2010 द्वारा प्रेषित की, जिसपर बाद में कार्यवाही तात्कालिक आयुक्त ने प्रकरण को संयोज्य योग्य नहीं मानते हुए, जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर को पत्र दिनांक 14.06.2010 के द्वारा नियमानुसार दुकान को निरस्त करने के निर्देश दिये।

3. जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 17.06.2010 द्वारा अपीलार्थी अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा आवेदन पत्र के दिशा निर्देश शर्त संख्या 1घ के अनुसार अनुज्ञापत्र धारण के अयोग्य होना मानते हुए अपीलार्थी अनुज्ञाधारी को अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 7.1, 7.2 एवं 8.2., 8.4 के उल्लघंन का दोषी पाया गया तथा आबकारी अधिनियम 34(C) एवं आबकारी नियम का नियम 76(C) के अधीन जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रार्थी अनुज्ञाधारी को जारी अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया एवं अनुज्ञापत्र की राजकोष में जमा करवाई गई राशि व बेसिक लाईसेंस फीस एवं दुकान पर उपलब्ध मदिरा स्टॉक को राजसात किये जाने का आदेश पारित किया गया।

4. जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 17.06.2010 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष ए.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8319/2010 श्री भागचन्द बनाम सरकार प्रस्तुत की गयी, जिसमें दिनांक 17.03.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया कि जिला आबकारी अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 17.06.2010 अपास्त कर दिया गया। साथ ही यह आदेश भी पारित किया गया कि अप्रार्थी राज्य/आबकारी विभाग यदि चाहे तो विधि के प्रावधानों के अधीन याचिकाकर्त्ता के लाइसेंस को निरस्त करने के लिये अग्रसर रहने को स्वतंत्र रहेंगे।

5. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.03.2011 के अनुक्रम

09/05/17

लगातार......................3.

में जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर ने अनुज्ञाधारी श्री भागचन्द को सुनवाई हेतु दिनांक 19.10.2011 के लिये दिनांक 10.10.2011 को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.10.2011 को प्रस्तुत किया गया। जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष नियत दिनांक 19.10.2011 को अनुज्ञाधारी श्री भागचन्द स्वयं एवं अधिकृत अधिवक्ता श्री राहुल शर्मा एवं श्री पंकज शर्मा उपस्थित हुए, जिन्हें सुना गया। बरामद 103 अवैध मदिरा के पव्वों के सम्बन्ध में पाई गई भिन्नता 40 यू.पी. के स्थान पर 50 से 60 यू.पी. के सम्बन्ध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने से एवं प्रकरण गंभीर श्रेणी का मानते हुए अनुज्ञाधारी ने सरकार द्वारा निर्गमित शराब का विक्रय नहीं कर दुकान पर नकली शराब का विक्रय किये जाने के कारण जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर ने आदेश दिनांक 02.11.2011 द्वारा अनुज्ञाधारी श्री भागचन्द को प्रदत्त देशी मदिरा समूह ब्यावर नगर परिषद वार्ड नं. 7 ग्राम पंचायत नुन्दरी महेन्द्रतान समूह संख्या 107 वर्ष 2009—10 एवं 2010—11 का अनुज्ञापत्र पूर्ववर्ती प्रभाव से अनुज्ञाधारी की जोखिम पर निरस्त करते हुए समस्त प्रकार की जमा राशियों को राजसात किये जाने का आदेश दिनांक 02.11.2011 पारित किया।

6. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष दायर याचिका संख्या 8319/10 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2011 अनुज्ञाधारी श्री भागचन्द ने अवमानना संख्या 966/11 दायर की, जिसे अनुज्ञाधारी ने इस आधार पर विड्रो करवाई की उसे आदेश दिनांक 02.11.2011 के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही की स्वतन्त्रता प्रदत्त की जावें। इस आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा निम्न आदेश दिनांक 17.09.2014 पारित किया।

"Mr. Pankaj Sharma, appearing for the petitioner states that in the facts obtaining in this contempt petition, he will not pursue the petition, but he be given liberty to impugn the order dated 02-11-2011.

The liberty sought for is unnecessary as the order dated 02-11-2011 constitutes a fresh cause of action. The petitioner always was/is free to impugn that order by taking his appropriate legal proceeding which no doubt will be addressed in accordance with law.

The comtempt petition is dismissed as withdrawn. Notices discharged."

7. प्रार्थी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 02.11.2011 के विरूद्ध आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.05.2016 द्वारा उक्त अपील को अस्वीकार कर जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 02.11.2011 को यथावत रखा गया। उक्त आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर के आदेश दिनांक 19.05.2016 से व्यथित होकर यह निगरानी आबकारी प्रस्तुत की गयी है।

8. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

9. प्रार्थी अनुज्ञाधारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि आबकारी निरीक्षक ब्यावर द्वारा प्रार्थी की देशी मदिरा दुकान से जब्त देशी मदिरा के पव्वों

09/05/17

लगातार......................4.

में से मार्का अंकित कर ए–1 से ए–5, बी–1 से बी–5 एवं सी–1 से सी–5 कुल 15 पव्वें देशी मदिरा को अभियोग संख्या 54 दिनांक 11.11.2009 के तहत् पत्रांक 726 दिनांक 13.11.2009 को रासायनिक जांच हेतू रासायनिक प्रयोगशाला उदयपुर को भेजा गया तथा पत्रांक 725 दिनांक 13.11.2009 द्वारा प्रबन्ध/लेब इन्चार्ज राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल झोटवाड़ा, जयपुर को भी भेजकर उसकी मौलिकता (ऑरिजनलिटी) की जांच करवाई गई। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 8481 दिनांक 28.1.2010 द्वारा जांच रिपोर्ट में पी.पी.सील का वजन, मोटाई, Liner AV की मोटाई GSM द्वारा उपयोग में ले रहे पी.पी. सील की प्रिटिंग व पव्वों की प्रिटिंग व सप्लायर का नाम इत्यादि सब नॉर्म्स के अनुसार बताया गया। पी.पी. सील, लेबल्स व होलोग्राम की उपरोक्त टेक्ट रिपोर्ट से भेज गये सैम्पल के पव्वों को प्रथम दृष्टया राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल का होना बताया है। GSM की उक्त रिपोर्ट दिनांक 28.01.2010 के आधार पर आबकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 11.11.2009 को जो शराब के पव्वें जब्त किये गये थे, वह असली थे।

10. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह भी तर्क रहा है कि आबकारी निरीक्षक ने अपनी निरीक्षण फर्म दिनांक 11.11.2009 में जब्त देशी मदिरा की पव्वों की तेजी का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। बरामदशुदा शराब के कुछ सेम्पल पव्वों की शराब की जांच आबकारी प्रयोगशाला, उदयपुर से करवाई गई। जिसके अनुसार जब्तशुदा शराब के पव्वों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तेजी 40 यूपी से भिन्न 50 से 60 यूपी पाई गई। किन्तु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा GSM, Lab जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 28.01.2010 को नजरअन्दाज कर दिया गया। जिसके अनुसार जब्ताशुदा शराब GSM उत्पादित देशी मदिरा के पव्वें असली थे।

11. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे यह तर्क रहा है कि निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 11.11.2009 को जब्त शराब 40 यूपी की जब्त की गई हो ऐसी भी कोई साक्ष्य विभाग द्वारा पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध दुर्भावना से उसको क्षति पहुंचाने का प्रयत्न किया गया।

12. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि जिला आबकारी अधिकारी का आदेश दिनांक 17.06.2010 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.03.2011 द्वारा अपास्त कर दिया गया तब पुनः उन्हीं आरोपों को नए आदेश में पुनः आरोपित नहीं किया जा सकता। इस लिये जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 02.11.2011 Double Jeopardy के सिद्धान्त के अधीन विधि विरूद्ध है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि जिला आबकारी अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 11.11.2009 को प्रकरण को 5,000/— रूपये में संयोज्य कर दिया था फिर उक्त संयोज्य आदेश दिनांक 05.04.2010 को पुनावलोकन कर निरस्त

09/05/17

लगातार......................5.

कर दिया जबकि संयोज्य आदेश को पुनावलोकन करने का कोई प्रावधान आबकारी अधिनियम में नहीं है।

13. आबकारी निरीक्षक, ब्यावर द्वारा आबकारी प्रयोगशाला उदयपुर को जो पत्रांक लिखे गये उनमें दिनांक 27.08.2010 को लिखे गये पत्र का पत्रांक 768 है उसके पश्चात् दिनांक 07.09.2010 को लिखे गये पत्र का पत्रांक 227 है। इसी प्रकार प्रयोगशाला उदयपुर की जांच रिपोर्ट में अभियोग संख्या 54 के स्थान पर 34 अंकित किया गया बाद में उसे 54 संशोधित किया गया। इस प्रकार जांच रिपोर्ट में उक्त सुधार दिनांक 07.09.2010 के बाद में निर्देशानुसार किये गये होगे। विभाग द्वारा प्रार्थी को क्षति पहुंचाने के लिये मनमाने रूप से दस्तावेजों में संशोधन किया।

14. इस प्रकार प्रार्थी अनुज्ञाधारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऊपर वर्णित समस्त तर्को के आधार पर यह कथन किया है कि अप्रार्थी आबकारी विभाग द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर मनमाने रूप से प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही कर उसकी देशी मदिरा की दुकान का लाईसेंस निरस्त कर उसकी धरोहर राशि सहित समस्त राशि अवैधानिक रूप से जब्त सरकार कर ली। प्रार्थी की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 को स्वीकार कर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

15. अप्रार्थी राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 02.11.2011 और आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 19.05.2016 का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है। आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी का सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। अतः राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थी अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

16. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

17. प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उसमें वर्णित आधार संतोषजनक होने से निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

18. आबकारी निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 11.11.2009 को प्रार्थी अनुज्ञाधारी की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आबकारी निरीक्षण दल ने निम्न कमियां पाई गयी :—

09/05/17

1. दुकान में 103 पव्वे सादा देशी मदिरा के संदिग्ध रिफिल किये हुए मिले, पव्वों पर ढक्कन सुए या अन्य साधन से पुनः पेक किये हुए प्रतित हुए, ढक्कन पर लगे होलोग्राम भी बाद में चिपकाए हुए लगे।
2. वक्त निरीक्षण दुकान पर स्टॉक रजिस्टर एवं निरीक्षण पुस्तिका नहीं मिली परमिट आदि दस्तावेज दुकान पर नहीं मिले।
3. नौकरनामा भी स्वीकृतशुदा नहीं मिला।

19. विभाग द्वारा प्रार्थी अनुज्ञाधारी के विरूद्ध इस आबकारी अधिनियम की धारा 58(C) के तहत् अभियोग संख्या 54 दिनांक 11.11.2009 को दर्ज किया गया। आबकारी निरीक्षक ब्यावर द्वारा प्रार्थी की देशी मदिरा दुकान से जब्त देशी मदिरा के पव्वों में से मार्का अंकित कर ए—1 से ए—5, बी—1 से बी—5 एवं सी—1 से सी—5 कुल 15 पव्वें देशी मदिरा को अभियोग संख्या 54 दिनांक 11.11.2009 के तहत् पत्रांक 726 दिनांक 13.11.2009 को रासायनिक जांच हेतू रासायनिक प्रयोगशाला उदयपुर को भेजा गया तथा जब्त देशी मदिरा के पव्वों में से मार्का अंकित कर ए—6 से ए—10, बी—6 से बी—10 एवं सी—6 से सी—10 कुल 15 पव्वें पत्रांक 725 दिनांक 13.11.2009 द्वारा प्रबन्ध/लेब इन्चार्ज राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल झोटवाड़ा, जयपुर को तेजी, लेबल्स, ढक्कन, होलोग्राम आदि की जांच हेतु प्रेषित किया गया। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 8481 दिनांक 28.1.2010 द्वारा जांच रिपोर्ट में पी.पी.सील का वजन, मोटाई, Liner AV की मोटाई GSM द्वारा उपयोग में ले रहे पी.पी. सील की प्रिटिंग व पव्वों की प्रिटिंग व सप्लायर का नाम इत्यादि सब नॉर्म्स के अनुसार बताया गया। जब्त पव्वों को GSM के पव्वों के समान बताया गया। लेबल की लम्बाई—चौड़ाई सही बताई। लेबल पर सप्लायर का नाम भी सही बताया। उक्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुल 15 नग सैम्पल में केवल 9 पव्वों पर होलेाग्राम चिपके मिले है तथा बाकि 6 पव्वों पर होलोग्राम नहीं पाये गये। होलेाग्राम के असली या नकली होने की टेस्टिंग की सुविधा झोटवाड़ा लेब में नहीं है। अंत में नोट में उन्होंने अंकित किया कि "पी.पी. सील, लेबल्स व होलोग्राम की उपरोक्त टेक्ट रिपोर्ट से भेजे गये सैम्पल के पव्वे (15) नग प्रथम दृष्टया राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल जैसे प्रतीत होते है।"

20. आबकारी निरीक्षक दल द्वारा जब्तशुदा सैम्पल पव्वों को जांच हेतु दिनांक 13.11.2009 को आबकारी प्रयोगशाला, उदयपुर प्रेषित किया गया जिसकी परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 16.02.2010 में तेजी 50 से 60 यू.पी. पाई गयी।

21. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का इस संबंध में यह तर्क रहा है कि आबकारी निरीक्षक ने अपनी निरीक्षण फर्द दिनांक 11.11.2009 में जब्त देशी मदिरा की पव्वों की तेजी 40 यू.पी. होने का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। बरामदशुदा शराब के कुछ सेम्पल पव्वों की शराब की जाच आबकारी प्रयोगशाला उदयपुर से करवाई जाने पर तेजी 50 से 60 यूपी पाये जाने को लाईसेंस के निरस्त करने का मुख्य आधार बनाया जबकि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा GSM, Lab जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 28.01.2010

09/05/17

लगातार......................7.

को नजरअन्दाज कर दिया गया। जिसके अनुसार जब्तशुदा शराब GSM उत्पादित देशी मदिरा के पव्वें असली थे। इस संबध में यह उल्लेखनीय है कि निरीक्षण की दिनांक 11.11.2009 को स्टॉक रजिस्टर नहीं होने का भी प्रार्थी अनुज्ञाधारी के विरूद्ध आक्षेप है। प्रार्थी के स्टॉक में 40 यू.पी. के अतिरिक्त 50 यू.पी. या 60 यू.पी. की मदिरा भी हो ऐसा प्रार्थी का कथन नहीं रहा है।

22. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.06.2010 का आदेश पारित किये जाने से पूर्व दिनांक 06.04.2010 को नोटिस जारी किया गया। हालांकि उक्त नोटिस के जवाब हेतु प्रार्थी द्वारा समय चाहा गया। इसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ब्यावर के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया गया, जिसका अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2010 को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2010 को आदेश पारित किया कि दिनांक 06.04.2010 के नोटिस के संबंध में अन्तिम निर्णय पक्षकार को सुनकर किया जाये। उक्त नोटिस दिनांक 06.04.2010 तथा इसी प्रकार जिला आबकारी अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 10.10.2011 को दिए गए नोटिस में दोनों में प्रार्थी अनुज्ञाधारी को दुकान के निरीक्षण में पायी गयी अनियमिता के संबध में दर्ज अभियोग संख्या 54 दिनांक 11.11.2009 के संदर्भ में दिये गये दोनों नोटिस में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि "आबकारी प्रयोगशाला **उदयपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.02.2010 के अनुसार नमूना** पव्वों की शराब की **तेजी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तेजी 40 यू.पी. से भिन्न 50** से 60 यू.पी. की तेजी **पाई गई है। यह एक गम्भीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में** आता है।" प्रार्थी द्वारा नोटिस दिनांक 10.10.2011 का जवाब दिनांक 19.10.2011 को पेश किया गया। जिसमें यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि प्रार्थी को 40 यूपी के अतिरिक्त 50 या 60 यूपी की मदिरा GSM द्वारा सप्लाई की गयी है और ऐसी मदिरा उसके स्टॉक में भी हो। जहां तक मदिरा की जब्ती का प्रश्न है तो यह जब्ती दो स्वतंत्र गवाहों आत्माराम पुत्र श्री सुआलाल व प्रताप पुत्र श्री मोहनलाल की उपस्थिति में की गयी। जबकि आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रार्थी अनुज्ञाधारी को सर्वप्रथम दिनांक 21.11.2009 को 50 यू.पी. की शराब जरिये परमिट सप्लाई की गयी, आबकारी विभाग के रिकॉर्ड से प्रार्थी अनुज्ञाधारी को दिनांक 21.11.2009, दिनांक 27.11.2009 तथा 30.11.2009 को 50 यू.पी. की शराब जरिये परमिट सप्लाई की गयी थी। इस प्रकार निरीक्षण दिनांक 11.11.2009 से पूर्व प्रार्थी को 40 यूपी के अतिरिक्त कोई शराब सप्लाई नहीं की गयी। अतः निरीक्षण की दिनांक 11.11.2009 को प्रार्थी के स्टॉक में 40 यू.पी. शराब के अतिरिक्त 50 या 60 यूपी की शराब होना साबित नहीं होता है।

23. **फर्द निरीक्षण** दिनांक 11.11.2009 **में यह अंकित किया गया कि जब्तशुदा पव्वें**

लगातार......................8.

रिफिल किये हुए प्रतीत हो रहे है, ढक्कन सुये या अन्य किसी साधन से पैंक किये हुए लगते है। ढक्कन पर लगे होलोग्राम बाद में चिपकाये हुए प्रतीत हो रहे है। GSM लेब, जयपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 28.1.2010 में पी.पी.सील का वजन, मोटाई, Liner AV की मोटाई GSM द्वारा उपयोग में ले रहे पी.पी. सील की प्रिटिंग व पव्वों की प्रिटिंग व सप्लायर का नाम इत्यादि सब नॉर्म्स के अनुसार बताया गया। इस रिपोर्ट में पी.पी. सील, लेबल्स व होलोग्राम की उपरोक्त टेस्ट रिपोर्ट से भेज गये सैम्पल के पव्वे (15) नग को प्रथम दृष्टया राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल जैसे प्रतीत होना अंकित किया है। जब्त पव्वों को GSM के पव्वों के समान बताया गया। क्योंकि GSM लेब, जयपुर द्वारा मदिरा की गुणवत्ता की जांच नहीं की गयी। अतः इससे यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त जब्तशुदा पव्वे रिफिल नहीं किया गया हो या रिफील नहीं किया जा सकता हो या इन पर पी.पी.सी. सील इन्टेक्ट रही हो या होलोग्राम बाद में नहीं चिपकाये गये हो या चिपकाये नहीं जा सकते हो। जबकि आबकारी प्रयोगशाला, उदयपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.02.2010 में जब्तशुदा शराब के सेम्पल की गुणवत्ता की जांच में तेजी 50 से 60 यू.पी. पायी गयी है, जबकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तेजी 40 यू.पी. है। जैसाकि ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि प्रार्थी को 40 यू.पी. के अतिरिक्त 50 या 60 यू.पी. की मदिरा GSM द्वारा सप्लाई की गयी हो और ऐसी मदिरा उसके स्टॉक में भी हो, ऐसा प्रार्थी साबित करने में असफल रहा। अतः आबकारी निरीक्षक द्वारा जब्त की गयी शराब 40 यू.पी. की होना मानकर ही जब्त की गयी थी। अतः शराब की फर्द जब्ती एवं आबकारी प्रयोगशाला उदयपुर की रिपोर्ट दिनांक 16.02.2010 पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नही है। इससे यह साबित होता है कि जब्त की गयी शराब की तेजी 40 यू.पी. से भिन्न 50 से 60 यू.पी. तेजी की थी।

24. आबकारी प्रयोगशाला उदयपुर की जांच रिपोट में अभियोग संख्या 54 के स्थान पर 34 अंकित होने तथा बाद में इसे संशोधित कर 54 अंकित किये जाने पर भी रिपोर्ट के संदिग्ध होने का प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा आधार लिया गया है। इस संबंध में यही उल्लेखनीय है कि अभियोग संख्या 34/11.11.2009 अंकित कर दिया गया था किन्तु दिनांक 11.11.2009 को अभियोग संख्या 34 रजिस्टर्ड किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया। अभियोग की दिनांक सही अंकित की गयी है केवल 54 के स्थान पर 34 अंकित होने से जांच रिपोर्ट को संदिग्ध नहीं माना जा सकता।

25. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि जिला आबकारी अधिकारी का आदेश दिनांक 17.06.2010 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.03.2011 द्वारा अपास्त कर दिया गया तब पुनः उन्हीं आरोपों को नए आदेश में पुनः आरोपित कर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस लिये जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 02.11.2011 Double Jeopardy के सिद्धान्त के अधीन

लगातार.....................9.

विधि विरूद्ध है। प्रार्थी की उक्त आपत्ति के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी. सिविल पिर्टिशन 8319 / 2010 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2011 का संबंधित भाग का उल्लेख किया जाना समीचीन है, जो निम्न प्रकार है:—

"Perusal of the impugned order dated 17-06-2010 shows that it has been passed largely on the direction given by the Commissioner vide letter dated 14-06-2010. Therein, the matter was not found compoundable. The direction of the Commissioner is without causing hearing to the petitioner, thus principle of natural justice have been violated therein. The impugned order passed by the District Excise Officer is nothing but to endorse the direction given by the Commissioner, behind the back of the petitioner. It is otherwise a fact that there is no provision under the Rajasthan Excise Act authorizing the District Excise Officer to review his own order.

For the reasons aforesaid, the impugned order cannot be allowed to stand, hence the same is set aside. The writ petition is disposed of.

However, the respondents would be at liberty to proceed with the matter as per the provisions of law if they intend to cancel the license of the petitioner."

26. इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.03.2011 द्वारा जिला आबकारी अधिकारी का आदेश दिनांक 17.06.2010 को अपास्त कर दिया गया किन्तु साथ ही इस आदेश द्वारा प्रत्यर्थी राज्य / आबकारी विभाग को यदि वह चाहे तो विधि के प्रावधानों के अधीन याचिकाकर्त्ता के लाइसेंस को निरस्त करने के लिये कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। इसलिये पुनः नए सिरे से प्रकरण में कार्यवाही करने के लिये जो स्वतंत्रता माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी उसको दृष्टगत रखते हुए अप्रार्थी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 10.10.2011 को प्रार्थी को एक नोटिस दिया गया। जिसका प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.10.2011 को जवाब दिया गया। उक्त जवाब को Consider करते हुए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 02.11.2011 को आदेश पारित किया गया। अतः नए सिरे से प्रकरण में कार्यवाही करने के लिये जो स्वतंत्रता माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी उसके पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 02.11.2011 का आदेश पारित किया गया इसलिये उक्त आदेश Double Jeopady/Resjudicata/Estoppel के सिद्धान्तों से बाधित नहीं माना जा सकता। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्ति सारहीन है।

27. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया है कि जिला आबकारी अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 11.11.2009 को प्रकरण को 5000 रूपये में संयोज्य कर दिया था फिर उक्त संयोज्य आदेश दिनांक 05.04.2010 को पुनावलोकन कर निरस्त कर दिया तथा आदेश दिनांक 17.06.2010 द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया एवं अनुज्ञप्ति हेतु राजकोष में करवाई गई राशि को भी जब्त कर लिया। जबकि संयोज्य आदेश को पुनावलोकन करने का कोई प्रावधान आबकारी

09/05/17

लगातार......................10.

अधिनियम में नहीं है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.03.2011 द्वारा जिला आबकारी अधिकारी का आदेश दिनांक 17.06.2010 को अपास्त कर दिया गया तथा प्रत्यर्थी राज्य/आबकारी विभाग को यह स्वतंत्रता प्रदान की गयी कि यदि वह चाहे तो विधि के प्रावधानों के अधीन याचिकाकर्त्ता के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिये अग्रसर हो सकते है। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 148 दिनांक 19.05.2010 आबकारी आयुक्त को लिखा गया जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि भिन्न तेजी की शराब दुकान में विक्रय करने की अनियमिता के प्रकरण को आबकारी आयुक्त के आदेश क्रमांक प.291(बी)(11)अभि./आब./2008/152 दिनांक 19.01.2009 के अनुसार आबकारी आयुक्त के स्तर पर संयोज्य किया जाता है। इससे यह तो स्पष्ट है कि जिला आबकारी अधिकारी को उक्त प्रकरण को सयोज्य करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। यद्यपि आबकारी आयुक्त के पत्र दिनांक 14.06.2010 में प्रकरण को संयोज्य योग्य नहीं मानकर मदिरा दुकान निरस्त करने का निर्देश दिया गया। किन्तु उक्त पत्र व्यवहार के पूर्व ही जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संयोज्य आदेश दिनांक 16.03.2010 को आदेश दिनांक 05.04.2010 द्वारा पुनरावलोकन कर निरस्त कर दिया गया था। इसके पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी के आदेश 17.06.2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया और नए सिरे से विधिनुसार कार्यवाही की स्वतंत्रता प्रदान की गयी और उसी को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 02.11.2011 को गुणावगुण पर नया आदेश जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में सयोज्य आदेश दिनांक 16.03.2010 का पुनवालोकन कर आदेश दिनांक 05.04.2010 द्वारा निरस्त किये जाने प्रावधान आबकारी अधिनियम में नहीं होनी की आपत्ति सारहीन है।

28. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी निरीक्षक ब्यावर के सहायक रासायनिक परीक्षक आबकारी प्रयोगशाला, उदयपुर के नाम पत्रांक 768 दिनांक 27.08.2010 तथा उसके पश्चात् आबकारी निरीक्षक ब्यावर का ही पत्रांक 227 दिनांक 07.09.2010 का प्रेषित किया गया। इस प्रकार बाद का पत्र के क्रमांक पूर्व में प्रेषित पत्रांक से पहले के कैसे हो सकते है। अतः इससे आबकारी विभाग की प्रार्थी के लाईसेस को येनकेन प्रकारयन रद्द करने की दुर्भावना दर्शित होती है। इस संबंध में यहां यही उल्लेखनीय है कि ये दोनों पत्र रासायनिक प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट दिनांक 16.02.2010 में अभियोग संख्या 34 के स्थान पर 54 संशोधित करवाने हेतु आबकारी निरीक्षक ब्यावर लिखे गये थे। यह सही है कि डिस्पेच दिनांक जो बाद में है उसका क्रमांक पहले का है जबकि ऐसा नहीं हो सकता। यह तथ्य आबकारी निरीक्षक, ब्यावर के कार्यालय में डिस्पेच के सम्बन्ध में लापरवाही दर्शाता है। किन्तु यह उदयपुर की रासायनिक रिपोर्ट और जब्ती की कार्यवाही तथा सैम्पल भेजने की कार्यवाही के संबंध में सन्देह का आधार नहीं माना जा सकता। इसलिये उक्त अनियमितता को अप्रार्थी विभाग की दुर्भावना नहीं माना जा सकता। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्ति भी सारहीन है।

09/05/17

लगातार......................11.

29. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 11.11.2009 को प्रार्थी अनुज्ञाधारी की दुकान के निरीक्षण के समय स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण पुस्तिका, परमीट तथा नौकरनामा नहीं पाये जाने की अनियमिता पायी गयी। जहां तक नौकरनामा का प्रश्न है तो निरीक्षण की दिनांक को दुकान पर महावीर मेरवाडा तथा दौलत दो व्यक्ति शराब विक्रय करते हुए पाये गये थे, मौके पर कोई नौकरनामा प्रस्तुत नही किया गया। आबकारी विभाग के रिकॉर्ड में केवल महावीर मेरवाडा का नौकरनामा सलंग्न है। प्रार्थी अनुज्ञाधारी द्वारा अप्रार्थी विभाग को जो भी जवाब पेश किये गये, यहां तक कि अन्तिम जवाब दिनांक 19.10.2010 को पेश किया गया उसमें भी स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण पुस्तिका, परमिट तथा नौकरनामा नहीं पाये जाने की कमियों/अनियमिताओं का कोई जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार निरीक्षण के दौरान पायी गयी उक्त कमियां/अनियमिताओं का खण्डन नहीं होता है।

30. उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार यही साबित होता है कि निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 11.11.2009 को प्रार्थी अनुज्ञाधारी की दुकान के निरीक्षण में जब्त की गयी शराब राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 40 यू.पी. से भिन्न 50 से 60 यू.पी. पायी गयी थी तथा निरीक्षण के समय स्टॉक रजिस्टर्ड, निरीक्षण पुस्तिका, परमीट तथा नौकरनामा नहीं पाये जाने की अनियमितता पायी गयी। इससे अनुज्ञाधारी के विरूद्ध आबकारी निरीक्षक ब्यावर द्वारा अभियोग संख्या 54 दिनांक 11.11.2009 पंजीकृत किया गया तथा अनुज्ञाधारी ने अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 8.3, 8.4, 8.5 का उल्लघंन कारित किया है। जिससे राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34(सी) सपठित राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 76 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञाधारी का वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 का अनुज्ञापत्र निरस्त कर अनुज्ञापत्र की शर्त सं. 8.7 के अनुसार अमानत राशि सहित समस्त राशियों को जब्त सरकार किया गया। अतः आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के आदेश दिनांक 19.05.2016 एवं जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 02.11.2011 में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाये जाने से इनमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थी अनुज्ञाधारी की ओर से प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

31. परिणामस्वरूप प्रार्थी अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 02.11.2011 तथा आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर के आदेश दिनांक 19.05.2016 की पुष्टि की जाती है।

32. निर्णय सुनाया गया।

09/05/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य

9.5.2017

(मदन लाल)
सदस्य